



FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): चंद्रपुर P.S.(ठाणे): भद्रावती Year (वर्ष): 2022
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0172 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 17/05/2022 23:23 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7

3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):

1. Day(दिवस): मंगलवार Date From (दिनांक पासून): 17/05/2022
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 17/05/2022
Time From (वेळेपासून): 13:50 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 16:00 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 17/05/2022 Time (वेळ): 22:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)
Entry No. (नोंद क्र.): 037 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 17/05/2022 23:23 बजे

4. Type of Information (माहितीचा प्रकार): Oral

5. Place of Occurrence (घटनास्थळ):

1.(a) Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर): उत्तर, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): उपअधीक्षक भुमी अभीलेख कार्या, भद्रावतीचे प्रवेश द्वारा जवळ, भद्रावती, भद्रावती

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) Name (नाव): संजयकुमार महेंद्रकुमार जैन वय 58 वर्ष

(b) Father's/Husband's Name(वडील / पती चे नाव):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1964

(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

(f) Passport No.(पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)
ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No.(अ. क्र.)	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) Address (पत्ता):

रु. रिश्वत की मांग की है। श्री. चांभारे और सोनकुसरे इनको 5,000/- रु. रिश्वत देने की मेरी बिलकुल ईच्छा नहीं है इसलिए मेरे पास के जमा 5,000/- रु. साथ में लेकर श्री. चांभारे और सोनकुसरे, भुमी अभिलेख कार्यालय भद्रावती इनके उपर कारवाई होने के लिये आज सुबह 10:00 बजे अन्टी करप्शन ब्यूरो, चंद्रपुर कार्यालय में शिकायत करने के लिये आया। श्री. चांभारे और सोनकुसरे, भुमी अभिलेख कार्यालय, भद्रावती इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मेरा उनसे कोई भी लेन-देन का व्यवहार नहीं है। इसलिए मैं रिश्वत मागने वाले श्री. चांभारे और सोनकुसरे, इनके खिलाफ कानूनी कारवाई होने के लिए रिपोर्ट दे रहा हू। उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. जितेंद्र गुरनुले साहब ने 10:45 बजे दरम्यान ए.सी.बी. ऑफिस के संदेश वाघमारे इनको बुलाकर मा. उपवनसंरक्षक, कार्यआयोजना, विभाग चंद्रपुर इनके नामसे पत्र देके उनके कार्यालयसे दो शासकीय पंच लेकर आने के लिए भेजा। अंदाजे 11:40 बजे दरम्यान संदेश वाघमारे दो शासकीय पंचों के साथ ए.सी.बी. ऑफिस में आये और उन दोन्हो पंचोंको पोलीस निरीक्षक श्री. जितेंद्र गुरनुले साहबने उनके नाम पुछकर मेरी और ए.सी.बी. ऑफिस के स्टफ की आपस में पहचान कराके दि। उसके बाद श्री. गुरनुले साहब ने दोन्हो पंचोंको मेरी दस्तखत की वाली रिपोर्ट पढने को दि और उस रिपोर्ट पर पोलीस निरीक्षक श्री. जितेंद्र गुरनुले साहब और दोन्हो पंचोंने दस्तखत कीए।उसके बाद श्री. गुरनुले साहब इन्होंने दिये हुवे सुचना के अनुसार नापोक. संदेश वाघमारे इन्होंने व्हाईस रेकर्ड किस प्रकारसे काम करता है यह विस्तार से समजाया। उसके बाद श्री. गुरनुले साहब इन्होंने पंचों के सामने रिश्वत मांग की सत्यापण कार्यवाही करणे के लिये डिजीटल व्हाईस रेकर्डद्वारा रेकर्ड करेगे ऐसा बताया और सत्यापण कार्यवाही के बिच में और सापळा कारवाई के बिच में लेने वाली खबरदारी के बारे में सुचना दि गयी।उसके बाद श्री. गुरनुले साहब ने मैने रिपोर्ट देते समय सापळा कारवाई दरम्यान इस्तेमाल करने के लिये रिश्वत रक्कम रु. 5,000/- (रु. 500/- दरकी 10 चलनी नोट) जमा किए वाले नोटोंके नंबर लिख लिए। उसके बाद उन नोटोंको अंध्रसिन पावडर लगाने वाले है ऐसा बोलकर अंध्रसिन पावडरके गुणधर्म और प्रयोग करके बताकर रिश्वत रक्कम को अंध्रसिन पावडर लगाइ। इस कारवाईका सविस्तर पंचनामा नं. 1 श्री. गुरनुले साहब इन्होंने तयार किया।उसके बाद श्री. गुरनुले साहब ने इसके आगेकी कारवाई भद्रावती जाके करने का है ऐसा बताया। अंदाजन दोपहर 12:50 बजे दरम्यान मुझे मैने साथ लायी हुयी फोर व्हिलर गाडी नं. एम.एच. 34 ए.ए. 8346 से भद्रावती के तरफ हमारी गाडी के पिछे पिछे आने को कहा और श्री. गुरनुले साहब, स्टफ, दोन्हो पंचोंके साथ शासकीय गाडीसे कारवाईको लगनेवाले साहित्य के साथ भद्रावती के तरफ जाने के लिए निकल गए। मैं भी अपनी फोर व्हिलर से उनके पिछे पिछे निकला। अंदाजन दोपहर 01:30 बजे मौजा सुमठाणा, ता. भद्रावती की सेंट अनीस हायरकुल के पास एसीबी की गाडी रुक गयी उन्हे देख कर मैने भी अपनी गाडी वहापर रुकायी। उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. गुरनुले साहब ने पंचों के सामने गैरअर्जदारों के तरफ रिश्वत मांग के बारे में सत्यापण कारवाई करणेवाले है ऐसा बताया। उनके कहनेपर नापोक. संदेश वाघमारे इन्होंने व्हाईस रेकर्ड सुरु करके व्हाईस रेकर्डपर पंच क्र. 01 ने उनकी आवाजमें सत्यापण कार्यवाही करणे के लिये जाणेके बारे में प्रमाणपत्र पढकर व्हाईस रेकर्ड काले रंगके धागेसे मेरे गले में लटकाया और शर्ट के निचे ढक दिया। उसके बाद मुझे मेरे फोर व्हिलर गाडीसे पंच क्र. 01 के साथ भुमी अभिलेख कार्यालय, भद्रावती यहापर सत्यापण कार्यवाही के लिये भेज दिया। सत्यापण कारवाई के दरम्यान श्री. चांभारे, इन्होंने मुझे कहा की, सोनकुसरे ऑफिस में हजर नहीं है, वो फिल्टर पर गए है। ऐसा बोलकर उन्होंने श्री. सोनकुसरे को फोन लगा कर मेरी उनसे बात करवाई। श्री. सोनकुसरे ने बोला की उनको ऑफिस को आने को आधा घंटा लगेगा। मैने श्री. चांभारे को पुछा की श्री. सोनकुसरे ने आपको बताया होगा, कितना देना है।, तब श्री. चांभारे ने कहा की, आपकी मर्जी तब मैने कहा की पाच हजार बोले तो उन्होंने कहा की दे दो फिर निकालके ऐसा बोला। मैने कहा की श्री. सोनकुसरे को आने दो, मैं रुक जाता हू आधा घंटा। ऐसा बोलके मैं और पंच क्र. 1 भुमी अभिलेख कार्यालय भद्रावती से हम जहा पर रुके थे वहा वापस आ गये। रिश्वत मांगने की सत्यापण कार्यवाही करके वापस आणे के बाद पंच क्र. 01 के आवाज में प्रमाणपत्र का वाचन करनेके बाद व्हाईस रेकर्ड बंद किया।उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. गुरनुले साहब इन्होंने पंच क्र. 01 व 02 इनके समक्ष व्हाईस रेकर्ड में हुये संभाषणकी क्लीप सुनकर भुमी अभिलेख कार्यालय भद्रावती के श्री. चांभारे इन्होंने मेरी मौजा चेक तिरवंजा, ता. भद्रावती की जमीन के मोजमाप करने के काम के लिये खुद के लिए और श्री. सोनकुसरे के लिए रिश्वत कि रक्कम 5,000/- रु. लेने की सहमती दरशायी रइस बात कि तसल्ली हुयी। थोडी देर बाद श्री. सोनकुसरे का मुझे फोन आया की, वो भुमी अभिलेख कार्यालय भद्रावती में आ गए है। उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. गुरनुले साहब ने पंचों के सामने गैरअर्जदार श्री. सोनकुसरे के तरफ सत्यापण कार्यवाही करणे के लिये रिश्वत मांगने के बारे में सत्यापण करणेवाले है ऐसा बताया। उनके कहनेपर नापोक. संदेश वाघमारे इन्होंने व्हाईस रेकर्ड सुरु करके व्हाईस रेकर्डपर पंच क्र. 01 ने उनकी आवाजमें सत्यापण कार्यवाही करणे के लिये जाणेके बारे में प्रमाणपत्र पढकर व्हाईस रेकर्ड काले रंगके धागेसे मेरे गले में लटकाये और शर्ट के निचे ढक दिया। उसके बाद मेरे फोर व्हिलर गाडीसे पंच क्र. 01 के साथ भुमी अभिलेख कार्यालय, भद्रावती यहापर सत्यापण कार्यवाही के लिये भेजदिया। सत्यापण के दरम्यान मैने श्री. सोनकुसरे इनसे मेरी चेक तिरवंजा की जमीन के मोजमाप के बारे पुछा तो उन्होंने मुझे कहा की, तारीख निकाल दिया है, इस महीने की आखरी है, कुछ नहीं अभी बात के हिसाब से बनाये, उस दिन तो हो गया था बात और क्या बात करने की जरूरत है, सेवन तो मैने बोला था, आप पाच बोले थे ऐसा बोला। उसके बाद मैं नाश्ता करके पंधरा मिनीट में आता हू, ऐसा बोलके मैं और पंच क्र. 1 भुमी अभिलेख कार्यालय भद्रावती से हम जहा पर रुके थे वहा वापस आये। रिश्वत मांग सत्यापण कार्यवाही करके वापस आणे के बाद पंच क्र. 01 के आवाज में प्रमाणपत्र का वाचन करनेके बाद व्हाईस रेकर्ड बंद किया।उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. गुरनुले साहब इन्होंने पंच क्र. 01 व 02 इनके समक्ष व्हाईस रेकर्ड में हुये संभाषणकी क्लीप सुनकर भुमी अभिलेख कार्यालय भद्रावती के श्री. सोनकुसरे इन्होंने मेरी मौजा चेक तिरवंजा, ता. भद्रावती की जमीन के मोजमाप करने के काम के लिये खुद के लिए और श्री. चांभारे के लिए रिश्वत कि रक्कम 5,000/- रु. लेने की सहमती दरशायी रइस बात कि तसल्ली हुयी। उसके बाद भुमी अभिलेख कार्यालय भद्रावती के श्री. चांभारे और श्री. सोनकुसरे इनके खिलाफ रिश्वत सापळा कार्यवाही करणे का आयोजन किया। तब मुझे अंध्रसिन पावडर लगायी हुयी रिश्वत कि 5,000/- रु. रक्कम मेरे फुलपन्ट के दाये जेब में रख दिये। सापळा कारवाईके समय लि जाने वाले खबरदारी के बारेमें मुझे समजाया गया। दोन्हो लोकसेवक इन्होंने खुद या किसी अन्य व्यक्तीके माध्यमसे रिश्वत रक्कम लि तो फुलपन्ट के बाये जेबसे रुमाल निकालकर चेहरा पोछकर रुमाल बाये हाथ में रखकर इशारा करने को कहा। उस समय सापळा टिमके सदस्य इशारा मिलते ही रिश्वत रक्कम लेनेवाले को रगेहाथ पकडेगे ऐसा समजाया।उसके बाद पोलीस निरीक्षक श्री. गुरनुले साहब रइनके कहनेपर संदेश वाघमारे इन्होंने व्हाईस रेकर्ड सुरु करके व्हाईस रेकर्डपर पंच क्र. 01 इनके आवाजमें सापळा कार्यवाही के लिये जाने के बारेमें का प्रमाणपत्र पढकर व्हाईस रेकर्ड काले रंग के धागेसे मेरे गले में बांधकर शर्ट में किसीको दिखेगा नहीं इस तरह से झक दिया और मुझे मेरे गाडी से पंच क्र. 01 के साथ भुमी अभिलेख कार्यालय भद्रावती जाणे के लिये भेज दिया। सापळा टिम सदस्य अपनी शासकीय गाडी से मेरे पिछे पिछे आये। मैं और पंच क्र. 01 भुमी अभिलेख कार्यालय भद्रावती के पास गया तो श्री. सोनकुसरे ऑफिस के बाहर ही खडे थे। मैं और पंच क्र. 1 गाडी से उतरकर श्री. सोनकुसरे के पास गया तो श्री. सोनकुसरे इन्होंने मुझे और पंच क्र. 1 को भुमी अभिलेख कार्यालय भद्रावती के अंदर लेके गए और मुझे 5,000/-रु. रिश्वत कि रक्कम मांग की। तब मैने अंध्रसिन पावडर लगायी हुयी 5,000/- रु. रक्कम मेरे फुलपन्ट के दाये जेबमेंसे निकालकर श्री. सोनकुसरे इनको दिये, श्री. सोनकुसरे ने बाए हाथसे रिश्वत रक्कम 5,000/- रु. लीए और अपने फुलपन्ट की बाये जेब में रख दिए। उसके बाद मैं भुमी अभिलेख कार्यालय के मेन गेट पे आकर सापळा टिम को फुलपन्ट के बाये जेबसे रुमाल निकालकर चेहरा पोछकर रुमाल बाये हाथ में रखकर रिश्वत रक्कम लिये जाने का इशारा किया। (उर्वरीत फियाद मुळ फियादी प्रमाणे)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (बांधा)	Height (cms.) (उंची)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)